उत्तर प्रदेश शासन
ग्रामीण अभियन्त्रण अनुभाग-2
संख्या- 105 /2020/1494/92-2-2020-05 जांच/2019
लखनऊ : दिनांक सितम्बर, 2020

कार्यालय-ज्ञाप

जनपद-अम्बेडकर नगर के कार्यकाल में उ0प्र0 पंचायत राज (प्रधान, उप प्रधान एवं सदस्यों को हटाये जाने संबंधी) नियमावली, 1997 के अनुसार ग्राम प्रधान के विरूद्ध कार्यवाही की शक्ति का अधिकार राज्य सरकार द्वारा जिला मजिस्ट्रेट में निहित होने के क्रम में जिलाधिकारी, अम्बेडकरनगर द्वारा जनपद अम्बेडकर नगर, ब्लाक- रामनगर की ग्राम पंचायत- हुसैनपुर मुसलमान के ग्राम प्रधान के विरूद्ध उ0प्र0 पंचायत राज अधिनियम, 1947 की धारा-95 (1) (जी) के अन्तर्गत कार्यवाही के संबंध में जिलाधिकारी, अम्बेडकरनगर के आदेश सं0-6079 दिनांक 14-03-2018 द्वारा जांच हेतु अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, अम्बेडकर नगर को पदेन जांच अधिकारी नियुक्त किया गया था। उक्त आदेश के उपरान्त लगभग 06 माह तक अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड- अम्बेडकरनगर के पद पर कार्यरत रहने के बावजूद भी श्री टी0एन0 सिंह, तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, अम्बेडकर नगर सम्प्रति सेवानिवृत्त द्वारा उक्त प्रकरण में कोई कार्यवाही नहीं किये जाने के कारण मD उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच, लखनऊ में रिट याचिका संख्या-7990(एम/एस)/2018 श्रीमती शम्स कमर बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में विभाग को असहज स्थिति सामना करना पडा। इस प्रकार श्री टी0एन0 सिंह, तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, अम्बेडकर नगर को उनके पदीय दायित्वों का निर्वहन न किये जाने हेतु शासन के स्पष्टीकरण संख्या-2854/92-2-19-05जांच/2019, दिनांक 11-12-2019 द्वारा उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-10(2) के अन्तर्गत स्पष्टीकरण उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया।

2- उक्त के क्रम में श्री टी0एन0सिंह, तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता द्वारा पत्रांक-1174/ग्रा0अ0वि0/एस0टी0/2019-20, दिनांक 14-01-2020 द्वारा स्पष्टीकरण उपलब्ध कराते हुए अवगत कराया गया कि जिलाधिकारी, अम्बेडकरनगर के आदेश दिनांक 14-03-2018 द्वारा ग्राम पंचायत हुसैनपुर मुसलमान, विकास खण्ड- रामनगर के प्रधान द्वारा कराये गये कार्यों की जांच हेतु सहायक अभियन्ता, डीआरडीए, अम्बेडकरनगर की संयुक्त कमेटी नामित किये जाने के क्रम में उनके द्वारा पत्र दिनांक 31-03-2018 व पत्र दिनांक 25-04-2018 द्वारा प्रकरण से संबंधित अभिलेखों की मांग प्रधान/सचिव, ग्राम पंचायत-हुसैनपुर मुसलमान से की गयी थी। साथ ही दूरभाष पर अभिलेख प्राप्त न होने की स्थिति में जांच किया जाना संभव नहीं था। इसी मध्य उनका स्थानान्तरण प्रखण्ड-गोण्डा में हो जाने के कारण उनके द्वारा दिनांक 09-05-2018 को प्रखण्ड- गोण्डा में कार्यभार ग्रहण कर लिया गया।

3- चूंकि श्री टी0एन0 सिंह, तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड-अम्बेडकरनगर सम्प्रति सेवानिवृत्त है तथा सेवानिवृत्ति के उपरान्त श्री सिंह को प्रशासकीय दण्ड दिये जाने का अवसर न रह जाने के कारण शासन के स्पष्टीकरण संख्या-2854/92-2-19-05जांच/2019, दिनांक 11-12-2019 द्वारा श्री टी0एन0सिंह, तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड-अम्बेडकरनगर सम्प्रति सेवानिवृत्त से उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-10(2) के अन्तर्गत मांगे गये स्पष्टीकरण को बिना किसी दण्ड के समाप्त किये जाने पर श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

कल्पना अवस्थी
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-105 /2020/ 1494(1) /92-2-2020, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ ।

2- श्री टी0एन0 सिंह, तत्का0 अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड-अम्बेडकरनगर सम्प्रति सेवानिवृत्त द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

3- ग्रामीण अभियन्त्रण अनुभाग-1

4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(रमाकान्त शुक्ल)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।